# कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पत्रांक–वा0क0अधि0/लेखा/चि0प्रति0/ —— /16 लखनऊःदि0ःमार्च 16, 2016**

**–:: परिपत्र ::–**

**समस्त सदस्य,**
**वाणिज्य कर अधिकरण,**
**अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।**

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली–2011 के नियम–20 में सेवा नियमावली सरकारी सेवकों के लिये उपचार हेतु प्रतिपूर्ति द्वारा स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी थी। उपरोक्त नियम को उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–474/पॉच–6–14–1082/87टीसी लखनऊः दि0 04 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित करते हुये निम्न नियम प्रतिस्थापित किया गयाः–

<table>
<tr><td rowspan="3">नियम–20 का प्रतिस्थापन</td><td colspan="2">13–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये विद्यमान नियम–20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–</td></tr>
<tr><td>स्तम्भ–1</td><td>स्तम्भ–2</td></tr>
<tr><td>उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे<br>(क)सरकारी सेवकों के लियेः–<br>रू0 1.00 लाख तक–कार्यालयाध्यक्ष<br>रू0 1.00 लाख से अधिक व 2.50 लाख तक–विभागाध्यक्ष<br>रू0 2.50 से 5.00 लाख तक–सरकार का प्रशासकीय विभाग<br>रू0 5.00 लाख से अधिक–चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग<br>(ख) सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के लियेः–<br>रू0 1.00 लाख तक सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष<br>रू0 1.00 लाख से अधिक व रू0 5.00 लाख तक– सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के प्श्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी<br>रू0 5.00 लाख से अधिक–सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एवम् वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात प्रशासकीय विभाग।</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम<br>स्वीकर्ता प्राधिकारी 20–उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगेः–<br>कार्यरत/सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के लियेः–
<table>
<tr><td>छावे की धनराशि</td><td>स्वीकर्ता प्राधिकारी</td></tr>
<tr><td>रू0 2,00,000/–तक</td><td>कार्यालयाध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>रू0 2,00,000/– से अधिक<br>रू0 5,00,000/–तक</td><td>विभागाध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>रू0 5,00,000/– से<br>रू0 10,00,000/– तक</td><td>स्रकार में प्रशासकीय विभाग</td></tr>
<tr><td>रू0 10,00,000/– से अधिक</td><td>वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार में प्रशासकीय विभाग।</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

इस प्रकार दिनॉक 04.03.14 के पूर्व पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ता अधिकारी होता था जबकि प्रतिस्थापित उपनियम के अनुसार पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष को विलोपित कर दिया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक के सम्बन्ध में उस कोषागार से कार्यवाही नहीं होनी है जहॉ से पेंशन आहरित होती है बल्कि जहॉ से अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त हुये हैं उसी कोषागार से देयक का भुगतान किया जाना है।

अतएव समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जो अधिकारी/कर्मचारी जिस कार्यालय से सेवा निवृत्त हुआ है, वहॉ के कार्यालयाध्यक्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ह0दि0 16.03.16

**(डी0एस0 त्रिपाठी)एच0जे0एस0**
**अध्यक्ष,**
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृष्ठांकन–वा0क0अधि0/लेखा/चि0प्रति0/1194/16 तद्दिनॉक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
2– वरिष्ठ सहायक (लेखा/पेंशन/कम्प्यूटर/स्थापना–1/2), मुख्यालय।
3– परिपत्र गार्ड फाइल, मुख्यालय।

आज्ञा से,

16/3/16

( डी0पी0 सिंह )
निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।